संख्या-9/2018जी0आई0-8/तीन-2018-10(46)/2016

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

5- पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल,2018

विषय-: भारत के राष्ट्रगान से संबधित आदेश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन अनुभाग के पत्र संख्या-917/तीन-2016-10(46)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 एवं पत्र संख्या- 1/तीन-2017-10(46)/2016 , दिनांक 25 जनवरी, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-855/2016 में क्रमशः दिनांक 30-11-2016 एवं दिनांक 09-12-2016 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राष्ट्रगान के बारे में एवं सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं तथा विशिष्ट विकलांगो को राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने से छूट सम्बन्धी व्यवस्था बतलाई गयी है।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत के राष्ट्रगान के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-855/2016 में दिनांक 09-01-2018 को अंतिम आदेश पारित करते हुए रिट याचिका को निस्तारित किया गया है। जिसके क्रम में गृह मंत्रालय (पब्लिक सेक्शन) भारत सरकार के पत्र संख्या-14/6/2016-पब्लिक दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

18-01-2018 द्वारा आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं। उक्त रिट याचिका (सिविल) संख्या-855/2016 में दिनांक 09-01-2018 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः-

(i) The Committee appointed by the Union government shall submit its recommendations to the competent authority in terms of the Notification dated 5th December, 2017, for follow up action.

(ii) The order passed on 30th November, 2016, is modified to the extent that playing of the National Anthem prior to the screening of feature films in cinema halls is not mandatory, but optional or directory.

(iii) Since the Committee constituted by the Union government is looking into all aspects of the matter, it shall make its recommendations uninfluenced by the interim directions of this Court, as clarified in our order dated 23rd October, 2017. Similarly, the competent authority shall in taking its decision(s) not be constrained or influenced by any of the interim directions.

(iv) Citizens or persons are bound to show respect as required under executive orders relating to the National Anthem of India and the prevailing law, whenever it is played or sung on specified occasions.

(v) The exemption granted to disabled persons shall remain in force till the final decision of the competent authority with regard to each occasion whenever the National Anthem is played or sung.

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 09-01-2018 का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

संख्या- जी0आई0-8(1)/तीन-2018-10(46)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- प्रमुख सचिव, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन।

4- स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- उप सचिव,पब्लिक अनुभाग,गृह मंत्रालय,भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2018 के संदर्भ में प्रेषित।

6- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इन दिशा निर्देशों का स्थानीय समाचार पत्रों एवं मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

7- रजिस्ट्रार,मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद/लखनऊ बेंच लखनऊ।

8- महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

9- मनोरंजन कर आयुक्त, आठवां तल जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेशों/ निदेशों का प्रदेश के सम्पूर्ण सिनेमाघरों में अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

10- तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उत्तर प्रदेश राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की बेवसाईट पर डालने हेतु।

11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
डा0 ललित वर्मा
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।